शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 25/2017/857 /38-4-17-14(विविध)/2016 टी0सी0

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 22 अगस्त, 2017

विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के अनुसार आवासों के आवंटन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-20/2017/778/38-4-17-14(विविध)/2016टी0सी0, दिनांक 17.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थलों पर स्थायी प्रतीक्षा सूची अंकित करायी जाय तथा वाल राइटिंग में यह अंकित किया जाय किः-

(क) उपर्युक्त स्थायी प्रतीक्षा सूची में कोई अपात्र व्यक्ति सम्मिलित हो तो, इसके संबंध में खण्ड विकास अधिकारी अथवा जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया जाय।

(ख) कोई पात्र व्यक्ति उपर्युक्त सूची में सम्मिलित होने से छूट गया हो तो, इसके संबंध में खण्ड विकास अधिकारी अथवा जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया जाय।

(ग) आवासों के आवंटन में यदि कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हो तो, इसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी को अवगत कराया जाय एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित मोबाइल नम्बर पर अवगत कराया जाय। इस हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी एक दूरभाष नम्बर निर्धारित करेंगे और उस जनपद की प्रत्येक वाल राइटिंग में उस नम्बर को अंकित किया जायेगा। यह वाल राइटिंग प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक दशा में दिनांक 10.08.2017 तक कराते हुए, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 को अवगत कराया जाय।

2- उपर्युक्त निर्देशों के परिपालन में शासन के संज्ञान में आया है कि अनेक जनपदों द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की गयी है तथा कई जनपदों द्वारा अभी उक्त निर्देशों का परिपालन नहीं किया गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत समयबद्ध रूप से निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

(1) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाय कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में की गयी वालराइटिंग की फोटोग्राफी कर उसकी स्पष्ट ईमेज ई-मेल (iayvk@yahoo.com) पर दिनांक 25.08.2017 तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(2) सभी लाभार्थियों को किसी निश्चित तिथि में ग्राम पंचायत स्तर पर पर एकत्रित किया जाय तथा उन्हें योजना की जानकारी उपलब्ध कराते हुए निम्नलिखित निर्देश पढ़ कर सुनाये जायः-

वर्ष.....में आपका आवास स्वीकृत किया गया है। आवासों की स्वीकृति में ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत को कोई विषेश अधिकार नही है और न ही उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका है। लाभार्थी की पात्रता के अनुसार तथा प्राथमिकता क्रम के अनुसार ही आवासों का आवंटन किया जा रहा है। अतः किसी लाभार्थी के द्वारा ग्राम प्रधान अथवा किसी शासकीय कर्मचारी को कोई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>धनरशि दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अवैध धनराशि की मांग करता है, तो सीधे जिलाधिकारी@मुख्य विकास अधिकारी को जनपद द्वारा निर्धारित दूरभाष संख्या (Phone number) पर सूचित किया जाय</u>।

(3) जिलाधिकारी द्वारा इस हेतु कोई दूरभाष नम्बर निर्धारित किया जायेगा।

(4) उक्त तिथि को चिन्हित लाभार्थियों को सचिव] ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) द्वारा योजना की जानकारी एवं उपर्युक्त रेखांकित निर्देश पढ़कर सुनाये जायेंगे। उक्त के पश्चात कार्यवाही को रजिस्टर पर अंकित किया जायेगा। कार्यवाही रजिस्टर पर अंकित करने के उपरान्त उपस्थित सभी लाभार्थियों के उस रजिस्टर पर हस्ताक्षर लिये जायेंगे, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न की गयी है। हस्ताक्षरित कार्यवाही की प्रति विकास खण्ड में दिनांक 31.08.2017 के पूर्व जमा की जायेगी।

(5) योजना की जानकारी एवं उपर्युक्त रेखांकित निर्देश अंकित करते हुए संलग्न प्रारूप के अनुसार होर्डिंग प्रत्येक विकास खण्ड तथा विकास भवन पर लगायी जायेगी । इस कार्य पर जो व्यय होगा उसको योजना के प्रशासनिक मद से वहन किया जायेगा।

(6) आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 कार्यालय के पत्र संख्या-996/वि0का0 /प्र0 मं0 आ0यो0ग्रा0/2017 दिनांक 18.07.2017 तथा पत्र संख्या-1214/ वि0 का0/ प्र0मं0आ0यो0ग्रा0/2017 दिनांक 16.08.2017 के माध्यम से जनपद सीतापुर तथा उन्नाव में भ्रष्टाचार के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को उदाहरण स्वरूप जनपदों को अवगत कराया गया है, जिसको संज्ञान में रखते हुए ऐसे प्रकरण संज्ञान में आने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है।

(7) प्रत्येक लाभार्थी को दिनांक 31.08.2017 तक निम्नलिखित प्रारूप पर स्वीकृति पत्र उपलब्ध कराया जाय। स्वीकृति पत्र के अधोभाग में उपर्युक्त रेखांकित अंश अंकित किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक:-यथोक्त।</u>

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव

संख्या- 25/2017/857(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- ।

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त संयुक्त विकास अधिकरी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव

सबका साथ, सबका विकास
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
योजना अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011 के आधार पर सभी पात्र लाभार्थियों की सूची प्राथमिकता के क्रम में ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर अंकित की गयी है।
निर्धारित सूची के अनुसार ही क्रम से लाभार्थियों को आवास का आवंटन किया जायेगा।
ग्राम प्रधान, सचिव, ग्राम पंचायत अथवा किसी कर्मचारी/अधिकारी को कोई विशेष अधिकार नहीं है कि वे किसी भी लाभार्थी को आवास दिला सके।
यदि आवास दिलाने हेतु कोई अवैध रूप से धनराशि की माँग करता है तो जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को सूचित करें।
सुरक्षा एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
Sampl-cpl
Size- 25 (W) x 16 (H) Sqcm
Mob:-9415782374